न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–66/2011/भीलवाड़ा (2011/00016)

1. मांगू पुत्र परसा, जाति कुमावत, निवासी ग्राम सिरोटी का खेड़ा, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा ।
2. लाडू पुत्र कस्तूर, जाति कुमावत, निवासी गोपालपुरा, तह0 माण्डल, जिला भीलवाड़ा ।
3. भूरा पुत्र सूरजमल जाति कुमावत, निवासी गोपालपुरा, तह0 माण्डल, जिला भीलवाड़ा ।
4. उदा पुत्र रूपा (मृतक) जरिये वारिसानः–
   4/1– देऊबाई बैवा उदा,
   4/2– कमला पुत्री उदा पत्नि सुखलाल,
   4/3– पारसी पुत्री उदा पत्नि नारायण,
   4/4– सुरेश पुत्र उदा,
   4/5– जगदीश पुत्र उदा,
   समस्त जाति कुमावत, नि0 गोपालपुरा, तह0 माण्डल, जिला भीलवाड़ा ।
5. मनोहर पुत्र मांगू, जाति कुमावत, नि0 ग्राम सिरोटी का खेड़ा, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा ।
6. मथुरा पुत्र नाथू, जाति कुमावत, नि0 ग्राम सिरोटी को खड़ा, तह0 माण्डल, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट्स

बनाम

1. डूंगरसिंह पुत्र शोभागसिंह (मृतक) जरिये वारिसानः–
   1/1– हनुमानसिंह पुत्र डूंगरसिंह,
   1/2– अमृत कंवर पुत्री डूंगरसिंह,
   1/3– तेज कंवर पुत्री डूंगरसिंह,
   1/4– युवराज कंवर पुत्री डूंगरसिंह,
   समस्त जाति राजपूत, निवासी बेमाली, तह0 माण्डल, जिला भीलवाड़ा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, माण्डल, जिला भीलवाड़ा ।

असल रेस्पोडेंट्स

3. नैनूराम पुत्र तुलछा,
4. रामलाल पुत्र तुलछा,
5. खेमराज पुत्र तुलछा,
6. सूडी पत्नि गोकल,
7. प्रेमदेवी पत्नि नैनू,
8. सायरी पत्नि नैनू,
9. टम्मू पुत्री नैनू,
10. सुमित्रा पुत्री नैनू,

11. संतोक पुत्री नैनू,
12. सीमा पुत्री नैनू,
समस्त जाति कुमावत, नि0 चावण्डिया, तह0 माण्डल, जिला भीलवाड़ा ।

तरतीबी रेस्पोर्डेटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 17.1.2011 अंतर्गत अपील संख्या 45/2009.

उपस्थितः–

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांटस ।
2. श्री योगेन्द्रसिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 1 के वारिसान एवं 2.
3. रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 12 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 24.09.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 17.1.2011 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 12 ने विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा के न्यायालय में तहसीलदार द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 1607 दिनांक 17.4.1998 के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत कर नामांतकरण संख्या 1607 को अवैध बताते हुए निरस्त करने का निवेदन किया । विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने प्रकरण दर्ज कर अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत को निर्णय दिनांक 17. 1.2011 द्वारा खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोर्डेट संख्या 1 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 की पत्रावली प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 1 की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलांटस ने विवादित आराजी श्रीमती मानकंवर पत्नि मेघसिंह राजपूत, निवासी बेमाली से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था एवं सन् 1978 ममें सेटलमेंट के दौरान बिकाव कर स्टॉम्प भू–प्रबंध अधिकारी के यहां प्रस्तुत करने पर उन्होंने गवाहान के बयान लेकर एवं मौके पर अपीलांट का कब्जा होने से अपीलांट के नाम आराजी को दर्ज

करने का आदेश दिनांक 4.7.1973 को प्रदान किया । भू–प्रबंध विभाग के उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पो0 ने कोई अपील प्रस्तुत की है जिससे यह आदेश अंतिम हो चुका था । अपीलांट विवादित आराजी पर 25 वर्षो से काबिज काश्त चला आ रहा है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढाते हुए कथन किया कि जागीरदार डूंगरसिंह के विरूद्ध सीलिंग प्रकरण चला था उसमें उसके खाते की आराजी में से 50 एकड़ छोड़ते हुए सन् 1976 में सरप्लस कर भूमि को अधिग्रहण किया जाकर बिलानाम किया गया । तत्समय विवादित आराजियात के बारे में प्रकरण में ना तो कोई आदेश हुआ एवं ना ही कोई भूमि बिलानाम हुई क्योंकि मानकंवर ने उसके खाते की आराजी को अपीलांट को बैचान कर दिया था इसलिय डूंगरसिंह के विरूद्ध चले सीलिंग प्रकरण का मानकंवर के खाते की आराजियात से कोई संबंध नहीं था । तहसीलदार, माण्डल को सीलिंग प्रकरण संख्या 1/95 निर्णय दिनांक 22.2.1995, जो कि डूंगरसिंह राजपूत के विरूद्ध चला था, में अपीलांट की खातेदारी आराजियात को रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के खाते में दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था । विवादित भूमि अपीलांट ने क्रय थी परन्तु इसके बावजूद तहसीलदार ने विवादित आराजियात को रेस्पो0 के नाम जरिये नामांतकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये है जो त्रुटिपूर्ण है। विद्वान अधी0न्याया0 ने उपरोक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 17.1.2011 एवं तहसीलदार, माण्डल द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 1606 दिनांक 17.4.1998 अपास्त किया जावे । xx

1- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने जवाब बहस में कथन किया कि विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का निर्णय विधिसम्मत् है । तहसीलदार, भीलवाड़ा ने उपखण्ड अधिकारी के निर्णय की पालना में तस्दीक नामांतकरण के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की है जो संधारण योग्य नहीं है। अपीलांटस उपखण्ड अधिकारी के निर्णय को निरस्त कराये बिना किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है । विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

2- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । अपीलांटस ने बहस में कथन किया है कि विवादित आराजियात श्रीमती मानकंवर से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तथा उक्त आराजियात का नामांतकरण ए0एस0ओ0 द्वारा अपीलांटस के पक्ष में तस्दीक होने का कथन किया है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटस ने तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 1607 दिनांक 17.4.1998 के विरूद्ध अधी0न्याया0 के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी । अधी0न्याया0 विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपीलांट की अपील इस आधार पर अपास्त की है कि विवादित नामांतकरण 1607

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के न्यायालय में चले सीलिंग प्रकरण संख्या 1/95 (2/71) सरकार बनाम डूंगरसिंह में पारित निर्णय के क्रम में तहसीलदार, भीलवाड़ा ने संस्थित किया है । अपीलांटस ने उपखण्ड अधिकारी के सीलिंग प्रकरण में पारित निर्णय को चुनौती न देकर सीधे नामांतकरण संख्या 1607 दिनांक 17.4.1998 को चुनौती दी है जो विधिसम्मत् नहीं है । हम विद्वान अधी0न्याया0 के उक्त निष्कर्ष से सहमत है क्योंकि न्यायालय के निर्णय व डिक्री पालना में स्वीकृत नामांतकरण के विरूद्ध न्यायालय हाजा को अपील सुनने का अधिकार नहीं है । राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा75 (1)(F) सपठित धारा 135 के अधीन भू–अभिलेख से संबंधित मामलों के विरूद्ध न्यायालय हाजा को अपील सुनने का क्षैत्राधिकार है जबकि विवादित नामांतकरण संख्या 1607 दिनांक 17.4.1998 उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के न्यायालय में चले सीलिंग प्रकरण में पारित निर्णय की पालना में तस्दीक किया गया है तथा मूल आदेश की पालना में खोला गया विवादित नामांतकरण सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का Exetension व Execution है एवं ऐसे मूल आदेश की अपील सुनने का क्षैत्राधिकार न्यायालय को नहीं होने से सक्षम न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है । अपीलांट मूल आदेश को निरस्त कराये बिना नामांतकरण की कार्यवाही के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है । वैसे भी नामांतकरण की कार्यवाही एक फिस्कल प्रोसिडिंग है जिससे किसी के हक अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है ।

3- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस अपास्त योग्य तथा विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 17.1.2011 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 66/2011 (2011/00016) बउनवानी मांगू बनाम डूंगरसिंह व अन्य को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 45/2009 बउनवान नैनूराम बनाम मेड़तानी नन्दकंवर व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 17.1.2011 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 24.9.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर